न्यायालय, अपर समाहर्ता, राँची।

एस ए आर अपील 120 आर 15/99–2000

ए सी टी आर 21 आर 15/06–07

प्रीतिलता खलखो अपीलकर्ता

बनाम

सुदर्शन मिंज वगैरह प्रतिवादी

आदेश

8
15.02.2008

यह अपील एस ए आर वाद संख्या 136/91–92/53/88–89 में विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची द्वारा दिनांक 28.3.1995 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन की वापसी हेतु प्रतिवादी द्वारा धारा 71 छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत दायर आवेदन खारिज कर दिया है।

ग्राम	खाता	प्लॉट	रकबा
अरगोड़ा	104	3073	81 डिसमिल

अपील आवेदन में कहा गया है कि अपीलकर्ता के ससुर मार्टिन खलखो ने खेसरा संख्या 3072, 3073 एवं 3074 की वापसी के लिए एस ए आर वाद संख्या 53/88–89 दायर किया था जिसमें दिनांक 4.5.1994 को जमीन वापसी का आदेश पारित हुआ और 19.9.1994 को दखल देहानी भी प्राप्त हुआ। मार्टिन खलखो की मृत्यु के कारण दखल देहानी उनकी पत्नी सलोनी खलखो को दिया गया था। मार्टिन खलखो के एकमात्र पुत्र विजय खलखो थे जिनकी मृत्यु उनसे पहले ही हो गयी थी। विजय खलखो की पत्नी वर्तमान अपीलकर्ता प्रीतिलता खलखो है। अभी भी मार्टिन खलखो के

उत्तराधिकारी के रुप में अपीलकर्ता विवादित जमीन पर दखलकार हैं। अभी हाल में जब अपीलकर्ता लगान रसीद प्राप्त करने अंचल कार्यालय गये तो उन्हें पता चला कि किसी एक अन्य एस ए आर वाद संख्या 136/91–92 का फैसला प्रतिवादी के पिता जोसेफ वरदान मिंज के पक्ष में हुआ है। जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त एस ए आर वाद सलोमी खलखो बनाम जोसेफ वरदान मिंज खेसरा संख्या 3073 से संबंधित था जिसमें विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा 28.3.1995 को आदेश पारित किया गया है। वास्तविकता यह है कि अपीलकर्ता की माता सलोनी खलखो ने एस ए आर वाद संख्या 136/91–92 दायर ही नहीं किया था क्योंकि वाद संख्या 53/88–89 में उन्हें पूर्व में ही दखल देहानी प्राप्त हो चुका था और ऐसी स्थिति में पुनः दूसरा वाद दायर करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। वास्तव में एस ए आर वाद संख्या 136/91–92 प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ता की जमीन हड़पने की नीयत से जालसाजी से उनके नाम से दायर किया गया होगा।

उभय पक्ष की ओर से लिखित बहस दाखिल किया गया है। अपीलकर्ता के लिखित बहस में अपील आवेदन के तथ्यों को ही दुहराते हुए उल्लेख किया गया है कि तथाकथित एस ए आर वाद संख्या 136/91–92 के आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि आवेदक मुकदमें में अभिरुचि नहीं ले रहे हैं। वास्तव में यह वाद अपीलकर्ता ने दायर ही नहीं किया था क्योंकि उन्हें वाद संख्या 53/88–89 में पहले ही दखल देहानी प्राप्त हो चुंका था एवं निम्न न्यायालय को इस तथ्य की पुरी जानकारी थी। फिर भी प्रतिवादी की मिलीभगत से आदेश पारित किया गया है। वर्तमान अपीलकर्ता

को कथित एस ए आर वाद संख्या 136/91–92 की कोई जानकारी नहीं थी। यह वाद प्रतिवादी की मिलीभगत से सलोनी खलखो के नाम से दायर किया गया जबकि उस समय मार्टिन खलखो जीवित थे। सलोनी खलखो को उसी न्यायालय द्वारा दखल देहानी दिलाया गया था अतः पुनः दूसरा वाद दायर करने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रतिवादी ने एस ए आर वाद संख्या 53/88–89 के आदेश के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं किया था।

प्रतिवादी ने अपने लिखित बहस में बताया है कि उनके पिता जोसेफ वरदान मिंज ने 1961 में टाईटल सूट में समझौता डिक्री के आधार पर विवादित जमीन प्राप्त किया था। पहले लगान रसीद भी निर्गत होता था जो बाद में बन्द हुआ। एस ए आर वाद संख्या 53/88–89 में एकपक्षीय फैसला हुआ था जिसकी जानकारी होने पर प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित हुए एवं एकपक्षीय आदेश को रद्द करवाये। उसी समय दोनों पक्षों के बीच एक अन्य मुकदमा संख्या 136/91–92 चल रहा था। दोनों वादों की सुनवाई एक साथ हुई एवं वाद खारिज हुआ। प्रतिवादी विवादित जमीन में लम्बी अवधि से दखलकार हैं और एडभर्स पोजिसन प्राप्त कर लिये हैं।

दोनों अभिलेखों में उपलब्ध दस्तावेज से यह स्थिति उभरती है कि वाद संख्या 53/88–89 में विशेष पदाधिकारी राकेश कुमार ने मार्टिन खलखो के पक्ष में भूमि वापसी का आदेश पारित किया। दखल देहानी उनकी पत्नी सलोनी खलखो को मिल गयी। लेकिन उसी पीठासीन पदाधिकारी द्वारा दिनांक 24.10.1994 को पूर्व में पारित दिनांक 4.5.1994 के भूमि वापसी आदेश को वापस ले लिया गया। इसके बाद एस ए आर वाद संख्या 136/91–92 में दिनांक

28.3.1995 को सलोनी खलखो के भूमि वापसी अभ्यावेदन को खारिज कर दिया। इस प्रकार एक ही पीठासीन पदाधिकारी ने एक ही जमीन पर उन्हीं पक्षकारों के संदर्भ में तीन प्रकार के आदेश पारित किये।

नियमानुसार एक ही राजस्व न्यायालय को अपने द्वारा पारित आदेश को पुनरीक्षित करने का अधिकार नहीं है बशर्ते कि कोई तकनीकि खामियाँ न हों। लेकिन वाद संख्या 53/88–89 में भूमि वापसी का आदेश देकर फिर वापस लेना और बाद में 136/91–92 में उसी पक्ष के दावे को अस्वीकार करना निम्न न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर है। उन्होंने अपीलीय न्यायालय के अधिकार का प्रयोग किया है जो वैधानिक रुप से गलत है।

अतएव वाद संख्या 53/88–89 में पारित दिनांक 24.10.1994 और वाद संख्या 136/91–92 में पारित दिनांक 28.3.1995 के आदेश को निरस्त किया जाता है। अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

दिनांकः– 15.2.2008

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्ता
रॉची।